कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का लिया संकल्प

भाजपा कार्यसमिति की बैठक में लिया संकल्प

- पेपर लीक प्रकरण में पूरी सरकार लिप्त : कैलाश चौधरी
- राजस्थान में नवंबर से पहले कभी भी हो सकते हैं विधानसभा चुनाव : वासुदेव देवनानी

जयपुर। भाजपा विधानसभा चुनावों में जुट गई है। आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर सोमवार को प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया।

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कार्यसमिति कि बैठक में प्रदेश में जंगलराज को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। राजस्थान अपराध और तुष्टीकरण की राजनीति में एक नंबर पर आ गया है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों वाला प्रदेश बनाकर रख दिया। भूमाफिया और बजरी माफिया सरकार चला रहे हैं। प्रदेश में गैंगवार की घटनाएं प्रतिदिन देखने को मिलती है। कैलाश चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने आपसी लड़ाई में जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। इनकी आपसी लड़ाई के चलते राजस्थान की जनता परेशान है। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने और मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लिया गया है।

पेपर लीक प्रकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। चौधरी ने कहा कि पिछले 4 साल में हमें 16 पेपर लीक हुए हैं। सरकार के मंत्री विधायक और आला अधिकारी इस पेपर लीक प्रकरण में लिप्त है इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। वहीं चौधरी ने कहा कांग्रेस सरकार लाखों गायों को मारने की गुनहगार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर मुद्दे को केंद्र सरकार पर थोपने की कोशिश करते हैं। एंटीवायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के नाम पर यह सरकार 4 महीने तक बैठी रही और टीकाकरण का काम नहीं किया जिसके चलते लाखों गाय मारी गई।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजनीति संभावना का खेल है और राजस्थान में नवंबर से पहले कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी और बयानबाजी को इंगित करते हुए यह बयान दिया। देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने तुष्टिकरण की सारी हदें पार की है। हिंदू त्योहारों पर बिजली काटी गई और रमजान और मुहर्रम पर बिजली नहीं काटने का आदेश जारी किया गया। कांग्रेस सरकार जनता को भ्रमित करने के लिए सिर्फ लोक लुभावनी घोषणा करती है।

संविधान और लोकतंत्र हमारी आस्था और विश्वास के सबसे बड़े केन्द्र होने चाहिए : कलराज मिश्र

जयपुर (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज पंद्रहवी विधानसभा के अष्ठम सत्र में अभिभाषण दिया और इसमें कहा कि राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की जो परिकल्पना हमारी सरकार और प्रदेशवासियों ने संजोई है उसे साकार होते देखना हम सबके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और अब प्रदेश मॉडल स्टेट के रुप में उभर रहा है।

उन्होंने कहा इस अवसर पर मैं सदन के सदस्यों से और उनके माध्यम से राज्य की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि, संविधान और लोकतंत्र हमारी आस्था और विश्वास के सबसे बड़े केन्द्र होने चाहिए। मैं अपना यह विश्वास आप सबमें और देश प्रदेश की जनता में बांटना चाहता हूं कि संविधान, लोकतंत्र और चुनी हुई सरकार में हमारी सभी समस्याओं का समाधान निहित है। हमारी सरकार ने संविधान के प्रति निष्ठा एवं जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान के राजभवन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 'संविधान पार्क' का निर्माण करवाया है। यह देश का पहला संविधान पार्क है। इसमें संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, कर्तव्य एवं नीति-निदेशकों तत्वों सहित अन्य प्रमुख अनुच्छेदों को रचनात्मक ढंग से दर्शाया गया है।

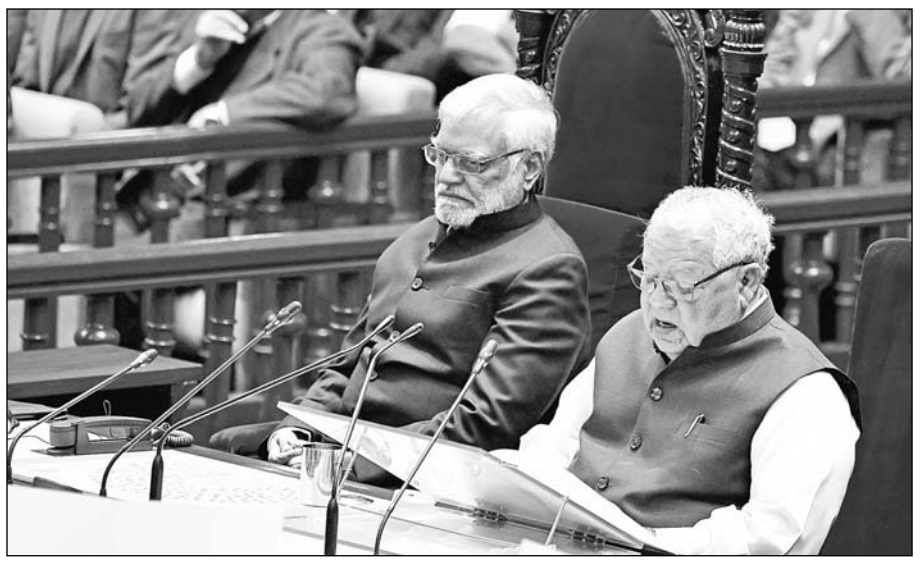

राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण दिया।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के इस सदन की इमारत ही भव्य नहीं है, यहां के सदस्यों ने जो परम्पराएं और लोकतांत्रिक मूल्यों की नज़ीर पेश की है, वह भी गौरवान्वित करने वाली है। इस सदन ने आम आदमी के अधिकारों की रक्षा और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सर्वसम्मति से जो फैसले लिए हैं, वे राजस्थान का कायाकल्प कर रहे हैं।

मिश्र ने अभिभाषण पढ़ते हुए कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारी सरकार ने इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कदम उठाए हैं और संदेवनशील , पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन के मूलमंत्र को धरातल पर उतारा है। इस पवित्र सदन में बैठकर सदस्यों द्वारा प्रदेश के हित में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किए गए गहन चिंतन और मंथन से प्रदेश की प्रगित, समृद्धि, खुशहाली और चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि बेहद खुशी की बात है कि भौगोलिक विषमताओं, आर्थिक चुनौतियों, सीमित संसाधानो और कोविड की गंभीर परिस्थितियों सहित तमाम प्रतिकुलताओं का सामना करते हुए हमारी सरकार ने कटिबद्धता से विकास परियोजना को मूर्तरुप दिया है।

उन्होंने कहा कि सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि राजस्थान ने वर्ष 2021-22 में 11.04 प्रतिशत की आर्थिक विकासदर हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में आज से शुरू होगी बहस

- पेपर लीक के मुद्दे पर सदन में गहलोत सरकार को घेरेगी बीजेपी
- संयम लोढ़ा ने उपनेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव सदन में रखने की मंजूरी मांगी; स्पीकर इस प्रकरण में जो भी फैसला लें, हंगामा होना तय है

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बी.ए.सी.) ने 2 फरवरी तक के लिए सदन का कामकाज तय कर दिया है। सूत्रों की मानें तो 24 जनवरी को सदन में अभिभाषण पर बहस शुरू होगी। 25 से 29 जनवरी तक सदन की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 30 व 31 जनवरी को पुन: अभिभाषण पर बहस होगी। तत्पश्चात 1 फरवरी को सदन की छुट्टी रहेगी।

दो फरवरी को दिन भर अभिभाषण पर बहस के बाद शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। इसी दिन पुन: बी.ए.सी. की बैठक होगी, जिसमें बजट की तारीख तय होगी। गत दिनों मुख्यमंत्री ने 8 फरवरी को बजट पेश करने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर बी.ए.सी. की मुहर लगना अभी बाकी है।

सूत्रों की मानें तो विधानसभा के बजट सत्र में पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को पुरजोर तरीके से घेरेगी। इसके लिए खास तौर पर रणनीति बनाई गई है। बीजेपी इस मुद्दे पर सदन में बहस करवाने की मांग रखेगी। पिछले बजट सत्र में पेपर लीक और नकल के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ था, कई दिन कार्यवाही बाधित रही थी। बाद में सरकार ने जवाब दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी पेपर लीक पर सरकार का सदन में जवाब आ सकता है।

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। लोढ़ा ने विधायकों के इस्तीफों का मामला स्पीकर के पास पैंडिंग होने के बावजूद कोर्ट में याचिका दायर करने को विशेषाधिकार हनन बताते हुए प्रस्ताव पेश किया है।

संयम लोढ़ा ने इस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को मंगलवार को सदन में रखने की मंजूरी मांगी है। अब स्पीकर इस पर फैसला करेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर जो भी फैसला होगा, उस पर हंगामा होना तय माना है।

'वरिष्ठता का नोशनल लाभ मिले'

जयपुर, (का.प्र.)। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों से बजट पूर्व संवाद-सुझाव और कर्मचारी संगठनों की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में शासन सचिवालय में मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में रीट भर्ती 2016 विज्ञान गणित चयनित शिक्षक संघ द्वारा नोशनल लाभ (वरिष्ठता का लाभ) दिए जाने हेतु मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा।

रीट भर्ती 2016 विज्ञान गणित के 927 पदों में से केवल 50 पदों पर जोइनिंग 2018 में हुई थी बाकी तत्कालीन सरकार द्वारा पदों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। वर्तमान सरकार द्वारा युवा हितों मे कोर्ट से एसएलपी वापस लेते हुए शेष 874 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए थे और इन 874 पदों पर नियुक्ति अक्टूबर-नवंबर 2021 में हुई थी। इस प्रकार यह 874 अभ्यर्थी अपनी ही भर्ती में वरिष्ठता में पिछड़ रहे हैं। डॉ.दीपेंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार के द्वारा सदैव युवा हितों में फैसले लिए जा रहे हैं।

सरकार की लोक कल्याणकारी उपलब्धियों से घबराकर भाजपा ने अभिभाषण पढ़ने से रोका : खाचरियावास

विधानसभा में भाजपा विधायकों पर नारे लगाकर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप

जयपुर, (का.प्र.)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार की चार वर्ष की जन कल्याणकारी और विकासकारी उपलब्धियों से घबराकर भाजपा विधायकों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को अभिभाषण नहीं पढ़ने दिया। जब राज्यपाल सरकार की उपलब्धियों का भाषण पढ़ रहे थे, तब भाजपा के सभी विधायक बेल में आकर हंगामा करने लगे। इसके दौरान विधायकों ने राष्ट्रगान का भी अपमान किया।

खाचरियावास ने कहा कि जब राष्ट्रगान शुरू होने के बाद भी भाजपा विधायक लगातार नारे लगाते रहे, इससे राष्ट्रगान सुनाई नहीं दे रहा था। राष्ट्रगान के दौरान व्यवधान उत्पन्न करना कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है। लोकसभा और विधानसभा सहित सभी जगह जब राष्ट्रगान होता है, तब किसी भी तरह की नारेबाजी पूरी तरह से गैर कानूनी मानी गई है। इसलिये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भाजपा विधायकों द्वारा राष्ट्रगान का अपमान करने के लिये माफी मांगनी चाहिए।

खाचरियावास ने कहा कि जो भाजपा राष्ट्रवाद का नाटक करती है, भाजपा की असली पोल खुलकर सामने आ गई। भाजपा ने राष्ट्रगान के दौरान जिस तरह हंगामा किया। उससे स्पष्ट हो गया कि भाजपा को राष्ट्र से मतलब है ना जनता से भाजपा सिर्फ झूठ, फरेब और धोखे के दम पर राजनीति करना चाहती है। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार विधानसभा चलाना चाहती है, लेकिन भाजपा के विधायक विधानसभा की कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न करके जनता का अपमान कर रहे हैं। आने वाले समय में जनता भाजपा को राष्ट्रगान के अपमान और विधानसभा की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के लिये माफ नहीं करेगी।

दुर्घटना में मरे इंस्पेक्टर के आश्रितों मुआवजा

जयपुर, (का.सं.)। एमएसीटी मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने वर्ष 2017 में सांगानेर इलाके में ट्रक से हुई दुर्घटना में मरने वाले सीआईएसएफ के तत्कालीन इंस्पेक्टर अमर सिंह गुर्जर के आश्रितों को 1.11 करोड रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने इस राशि पर 20 फरवरी 2018 से लेकर वसूली तक छह फीसदी ब्याज का भुगतान भी करने के लिए कहा है। अदालत ने यह आदेश कमला गुर्जर व अन्य की क्लेम याचिका मंजूर करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता मनीष जैन ने बताया कि सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर पद पर तैनात अमर सिंह 28 दिसंबर 2017 की रात करीब दस बजे बम्बाला पुलिया से मोटरसाइकल पर कुंभा मार्ग होते हुए मीणा पालडी स्थित अपने घर के लिए जा रहा था।

अब भिवाड़ी में भी एसीबी चौकी की मंजूरी

जयपुर, (का.सं.)। पुलिस जिला भिवाड़ी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की चौकी स्थापित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला पुलिस अलवर में संचालित 2 एसीबी चौकियों में से 1 चौकी को भिवाड़ी में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

वर्तमान में अलवर जिले में एसीबी की 2 चौकियां संचालित हैं तथा भिवाड़ी में एक भी चौकी स्थापित नहीं है। भिवाड़ी के बड़े औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण राज्य एवं केन्द्र सरकार के कई विभागों के कार्यालय स्थित हैं।

सरकारी रेडियोलॉजिस्ट को प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस पर रोक

- हाईकोर्ट ने यह रोक कार्यस्थल से 25 किमी के दायरे में लगाई है

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी में काम कर रहे रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सकों को उनके कार्य स्थल से 25 किमी के दायरे में स्थित निजी अस्पताल व क्लिनिक में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने वाले विभाग के गत 21 मार्च के परिपत्र पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश निजी चिकित्सक राजीव सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का विशेष तौर पर ऐसा परिपत्र जारी करना अव्यावहारिक है और फिलहाल इसकी क्रियान्विति पर रोक लगाया जाना उचित होगा।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 21 मार्च को परिपत्र जारी कर प्रावधान किया कि सरकारी रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक उनके काम करने वाली जगह से 25 किमी के दायरे में आने वाले निजी अस्पताल व क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का यह परिपत्र न केवल मनमाना है, बल्कि सरकारी चिकित्सकों को निजी अस्पताल में प्रैक्टिस करने के लिए बढ़ावा देने वाला भी है। इस परिपत्र के चलते सरकारी चिकित्सक निजी अस्पताल में भी प्रैक्टिस करेंगे और इससे प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को परेशानी हो रही है। याचिका में कहा गया कि ऐसे सरकारी चिकित्सकों को राज्य सरकार से वेतन मिल रहा है। उन्हें निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने से प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में विभाग के इस परिपत्र पर रोक लगाई जाए।

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परिपत्र पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य इलियास पुत्र मोमुद्दीन, पता-म.नं. 92ए, फ्रेंडस कॉलोनी विस्तार, नाई की थड़ी, लालवास, जयपुर राजस्थान का है, उनका पुत्र ईरशाद एवं उसकी पत्नी शबाना मेरे अभिभाष्य से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, ईरशाद एवं उसकी पत्नी शबाना के आचरण के कारण मेरे अभिभाष्य ने उन्हें अपनी चल-अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है, भविष्य में मेरे अभिभाष्य की सम्पति से ईरशाद एवं उसकी पत्नी का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा, उनसे जो कोई भी संव्यवहार व लेन-देन करेगा, उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। सूचित रहे।
जयपुर (हरिवंश राय खुडानिया) एडवोकेट
दिनांक-23/1/23 मो.-9829280478

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 126/2022
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी रूचि खण्डेलवाल पत्नी श्री गौरव कुमार गुप्ता, मकान नं.-222, बदेरा भवन, शिक्षा गुप्तेश्वर मार्ग दौसा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत 'डिजायर फाउन्डेशन' फ्लैट नं.15, सुख विहार, गुर्जर की थड़ी, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 22.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 30.01.2023
रतनलाल योगी (आर.ए.एस)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर
मोहर अदालत

कार्यालय नगर पालिका लालसोट (दौसा)

Email ID-lalsot.jaipur@yahoo.com **Ph.-01431-260714**

क्रमांक-न.पा.ला./कृ.भू.रू./2023/7460 दिनांक-23.01.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है नगर पालिका में निम्न आवेदकों द्वारा कृषि भूमि में पट्टा पत्रावली प्रस्तुत की है यदि उक्त आवेदन पर किसी आम व खास को कोई उज्र/आपत्ति हो तो पालिका में सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें बाद मियाद गुजरने पर किसी भी उज्र/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.सं.	आवेदक का नाम व पता	खसरा नं. कस्बा व कॉलोनी नाम	वर्गगज	प्रयोजन
1	कमलेश कुमार पुत्र शंकर लाल गुप्ता लालसोट	504 जोशी कॉलोनी लालसोट	168.11	आवासीय
2	फोरन्ती देवी पत्नी सत्यनारायण सैनी लालसोट	उपरोक्त	106.66	आवासीय
3	विनोद कुमार पुत्र राधा किशन माहेश्वरी लालसोट	उपरोक्त	118.62	आवासीय
4	राधारमण शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा लालसोट	उपरोक्त	181	आवासीय
5	रामबिलास सैनी पुत्र सुखजी राम सैनी लालसोट	3141 जमात कॉलोनी लालसोट	177.77	आवासीय
6	मोहन लाल पुत्र रेवडमल योगी लालसोट	135/3 रामनगर कोथून रोड लालसोट	103.1	आवासीय
7	प्रेम राज मीणा पुत्र धन्ना लाल मीणा सुंदरपुर	2490,2491,2492,2493, श्रीराम वाटिका लालसोट	138.88	आवासीय
8	मुरारी लाल सोनी पुत्र रामेश्वर प्रसाद सोनी लालसोट	653, 654 नेहरू कॉलोनी लालसोट	144	आवासीय
9	मुरारी लाल सोनी पुत्र रामेश्वर प्रसाद सोनी लालसोट	उपरोक्त	182.56	आवासीय
10	माया देवी पत्नी दिनेश कुमार शर्मा लालसोट	996/1 नेहरू कॉलोनी लालसोट	113.77	आवासीय
11	प्रियंका शर्मा पत्नी नवीन कुमार शर्मा सुकार	327 = यू कॉलोनी लालसोट	145.83	आवासीय
12	संगीता शर्मा पत्नी विनोद कुमार शर्मा सुकार	उपरोक्त	145.83	आवासीय
13	ओमप्रकाश शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा बिलोना खुर्द	1553, 1554 गणेश वाटिका लालसोट	183.33	आवासीय
14	सुभाष पहाडिया पुत्र जगदीश पहाडिया लालसोट	257/2 कोथुन रोड लालसोट	347.86	आवासीय
15	मनोज पहाडिया पुत्र जगदीश पहाडिया लालसोट	उपरोक्त	347.56	आवासीय
16	जगदीश पहाडिया पुत्र मोतीलाल पहाडिया लालसोट	उपरोक्त	347.92	आवासीय
17	विष्णु अग्रवाल पुत्र कल्याण प्रसाद अग्रवाल लालसोट	3905/594 श्याम मंदिर के पास गंगापुर रोड लालसोट	269.61	आवासीय
18	कल्याण प्रसाद पुत्र मोतीलाल अग्रवाल लालसोट	उपरोक्त	61.56	आवासीय
19	गिर्राज प्रसाद पुत्र कल्याण प्रसाद अग्रवाल लालसोट	उपरोक्त	50	व्यवसाय
20	अतुल बोहरा पुत्र रामलाल बोहरा, आरती सिंह पत्नी लोकेंद्र सिंह मीना, विनीत कुमार शर्मा पुत्र महेश चंद शर्मा जयपुर लालसोट	उपरोक्त	455.55	व्यवसाय
21	शशि गुप्ता पत्नी बृजमोहन गुप्ता पट्टी कला	239/5 आश्रम नगर ए नगरियावास	100	आवासीय
22	त्रिवेणी गुप्ता पत्नी सत्यनारायण छिपा पट्टी कला	उपरोक्त	103.88	आवासीय
23	दीपक कुमार पुत्र ओमप्रकाश शर्मा बिलोना कला	1332/2 गणेश विहार लालसोट	134.37	आवासीय
24	सावित्री देवी पत्नी रमेश चंद गोड देहरा	222 जय शिव नगर राजोली	103.14	आवासीय
25	गायत्री उपाध्याय पत्नी अशोक उपाध्याय लालसोट	197 कोथुन रोड लालसोट	315	व्यवसाय
26	अशोक उपाध्याय गोत्र कजोड मल उपाध्याय लालसोट	198 कोथुन रोड लालसोट	262.5	व्यवसाय
27	ममता देवी पत्नी राजकुमार शर्मा सालगरामपुरा	4689/1165 श्याम नगर लालसोट	201.24	आवासीय
28	ग्यारसी देवी पत्नी मदन लाल शर्मा सालगरामपुरा	उपरोक्त	57.55	आवासीय
29	शिवचरण गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता लालसोट	उपरोक्त	152.5	आवासीय
30	राजकुमार पुत्र मोजीराम शर्मा सालगरामपुरा	उपरोक्त	92.77	आवासीय
31	मोतीलाल सैनी पुत्र गेंदा लाल सैनी लालसोट	4731/1285 अग्रसेन नगर लालसोट	91.66	आवासीय
32	सीताराम पुत्र मेवाराम रेगर लालसोट	720 रेगर मोहल्ला लालसोट	86.59	आवासीय

उक्त आपत्ति आज दिनांक 23.1.23को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

(रक्षा मिश्रा)
अध्यक्ष
नगर पालिका लालसोट

(सीमा चौधरी)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका लालसोट